Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar

Website: www.shekhauni.ac.in E-mail: registrar@shekhauni.ac.in

Sr. No.: 32761 **Date: 24.07.2026**

ADVERTISEMENT FOR THE POST OF VICE-CHANCELLOR

On behalf of the Chairman, VC Search Committee, applications are invited for the post of Vice-Chancellor, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar. Eligible candidates are required to submit their applications in the prescribed format (Standard format for C.V.), both in soft copy and hard copy along with required information and supporting documents. The soft copy of the application should be emailed to **vcsc2026@shekhauni.ac.in** and the hard copy should be sent at the following address:

The Chairman, VC Search Committee,
C/o Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University,
Sikar-332024 (Rajasthan)

The last date for receipt of the soft and hard copy of the application is 20 August, 2026 by 5:00 pm.

The detailed advertisement along with the qualifications and prescribed format may be downloaded from the University website https://shekhauni.ac.in or from the website of the Lok Bhavan www.lokbhavan.rajasthan.gov.in

Registrar

Annex-I

Standard Fomat for C.V.

Latest Passport Size Color Photograph

1. Full Name in English:-..
   Full Name in Hindi: -...
2. Short Name :- ....
3. Father's/ Mother's Name :- ....
4. Date of Birth:- ....
5. Present Address:-...
6. Permanent Address:- ....

7. Present/ Last position held with full address **:-**
....
....
....
....
....

8. Telephone with STD Code:-

Landline (O): ....
Landline (R): ....
Fax. No.: ....
Mobile No.: ....

9. Email : ....

10. Website, if any: ....

11. Summary (Not more than 300 words) about the applicant:

....
....
....
....
....
....
....
....

12. (a) Academic Qualifications (beginning from the first degree received) :-

S. No.	Degree/ Course	Year	% of Marks/ Grade	Name of University	Remarks if any
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. (b) Post Doctoral/Training Experience including academic visits abroad:-

S. No.	Duration	Institution	Designation	Nature of Work

13. (a) Teaching Experience (from date of first appointment):-

S. No.	Position	Duration		Total Duration in years	Actual Date of Joining and Remarks if any
		From	To		
1.	Assistant Professor				
2.	Associate Professor				
3.	Professor				
4.	Others: Director/ Emeritus Professor/ Vice-Chancellor				

13. (b) Participation and contribution in relevant areas in higher education

	Organization	Area of specialization	Duration	
			From	To
Visiting Professor				
Resource Person				
Others (Specify)				

13. (c)

S.No.	Nomenclature of Innovative Academic Programmes formulated	Year of Introduction

13. (d) Important MoUs formulated for academic collaborations :

S.No.	MoUs formulated	Name of Agencies/ Departments involved	Year of MoU

13.(e) Position of Chairs:

S.No.	Name of Chair	Name of Agencies/Departments involved	Period of holding the chair

14. (a) Experience of Academic Administration (viz Dean/ Director/ HoD/ Proctor/Warden/Superintendent/Registrar/IQAC etc.

S.No.	Name of Institution	Position Held	Task/ responsibilities assigned	Duration		Duration in Year	Remark If any
				From	To		

14. (b) Contribution in Corporate Life of University, Community Engagement, Experience of Pedagogy, Curriculum Framing and Conduct of Examination (University/State/National Level), Served in Statutory Bodies, University Recruitment Process etc.

S.No.	Name of Institution	Position Held	Task/ Responsibilities Accomplished	Period	Remarks if Any

15. (a) Research Experience:-

S.No.	Name of Institution	Research Position Held	Research Areas Pursued	Duration		Duration in Year
				From	To	

15. (b) Sponsored Research Projects :-

S.No.	Title of the Project	Funding Agency	Position Held	Duration		Remarks if Any
				From	To	

16. Special achievements:-

S.No.	Name of Institution	Position Held	Period	Detail of special achievement
1.				
2.				
3.				

17. Publications output :-

i. No. of research papers published in international journals:-
ii. No. of research paper published in national journals:-
iii. Paper presented in international conference / seminars/ workshops
iv. Papers presented in national conference /seminars/workshops
v. Books authored :
vi. Books edited/Chapter:
vii. Popular articles:
viii. Monographs:
ix. Training Modules:
x. Patents, if any:
xi. Any other publications:

Note:- List of publications as above should invariably enclosed with C.V.

18. (a) Awards/Honors/Merit Certificates/ Applications/Fellow etc:

S. No.	Name of Award	Year	Details of awards/	Contribution for which award/ given

18. (b) Fellow of Academy/ Professional Societies etc.

S. No.	

19. Association with International institution / agencies / Societies.

S. No.	Name of Institution	Nature of association	Period with details		Contribution done
			From	To	

20. Association with National level institutions / agencies / Societies.

S. No.	Name of Institution	Nature of association	Period with details		Contribution done
			From	To	
1					
2					
3					
4					
5					

21. Consulting experience

S. No.	Client /Organization Name	Nature of Assignment	Duration of Assignment

22. Guide assignments

S.No.	Level	No. of students guided
1.	P.G.	
2.	M.Phil	
3.	Ph.D.	
4.	Post Doctorate	

23. Your vision for the University (up to 500 words) :

24. Details of References, if any

S. No.	Name of the Referee	Post Held by Referee	Email	Phone No.	Mobile
1.					

25. Are there are any criminal or civil cases pending against you in any court of law in India or abroad or have you ever been convicted by any Civil/ Criminal court in India or abroad: YES/NO

[In case of Yes copies of relevant documents and rulings in favour or disfavour may be attached for reference.]

26. Is/are there any Departmental enquiry(ies) and/or preliminary enquiry(ies) pending against you and/or you have been penalized resultant to any Departmental enquiry(ies): YES/NO

[In case of Yes copies of relevant documents and rulings in favour or disfavour may be attached for reference.]

27. Please attach
    (i) List of Publication,
    (ii) Appointment Order as Professor,
    (iii) Experience Certificate from Employer mentioning actual date of joining as Professor,
    (iv) Any relevant documents to (25) & (26).

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I solemnly declare/affirm that:

1. The particulars furnished by me in the said application form are correct and I have not concealed or misrepresented any facts in it.
2. I am a person of good conduct and uphold principles of academic integrity.
3. I also declare and fully understand that in the event of any information furnished being found false or incorrect at any stage, my application/candidature is liable to be summarily rejected at any stage, and if, I am already appointed my services are liable to be terminated without any notice from the post of the Vice-Chancellor as per Act and Statutes and other applicable rules.

Place :
Date :

Signature of the Applicant

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 15, शुक्रवार, शाके 1939– मई 5, 2017 *Vaisakha 15, Friday, Saka 1939-May 5, 2017*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2017

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2017 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 16)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 29 की धारा 11 का संशोधन.- पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 29) की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(18) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के

हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।"।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 5, 2017

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhwati Vishwavidyalaya, Sikar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 16) :-

(Authorised English Translation)

THE PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 16 of 2017)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of May, 2017)

An

Act

further to amend the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eight Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.